



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092026-276012
CG-DL-E-05092026-276012

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4679]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 2026/भाद्र 11, 1948

No. 4679]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2026/BHADRA 11, 1948

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2026

का.आ. 4866(अ).— केंद्र सरकार, न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 (2026 का अधिनियम संख्या 17) की धारा 24(2)(घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग के दिनांक 27.08.2026 के कार्यालय ज्ञापन संख्या जे-18/57/2026-जुडिशियल/ई.195818 साथ पठित, एतद्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एनसीडीआरसी) के अध्यक्ष तथा निम्नलिखित सदस्यों के कार्यकाल को उनके पद की नियुक्ति की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा, अध्यक्ष के मामले में 70 वर्ष की आयु और सदस्यों के मामले में 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक विस्तारित करती है :

क्र. सं.	माननीय अध्यक्ष/सदस्य, एनसीडीआरसी का नाम	नियुक्ति की तिथि
1	न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही, अध्यक्ष, एनसीडीआरसी	02.08.2023, 09.08.2023 के सा.आ. संख्या 3564(अ) के तहत अधिसूचित
2	न्यायमूर्ति श्री सुदीप अहलूवालिया, सदस्य, एनसीडीआरसी	05.08.2022, दिनांक 22.08.2022 के सा.आ. 3916(अ) और दिनांक 31.07.2026 के सा.आ. 4302(अ) के तहत अधिसूचित।

3.	डॉ. इंदर जीत सिंह, सदस्य, एनसीडीआरसी	05.08.2022, दिनांक 22.08.2022 के सा.आ. 3916(अ) और दिनांक 31.07.2026 के सा.आ. 4302(अ) के तहत अधिसूचित।
4.	एयर वाइस मार्शल जोन्नालागुडा राजेंद्र, एवीएसएम वीएसएम, सदस्य, एनसीडीआरसी	13.07.2023, दिनांक 26.07.2023 के सा.आ. 3335(अ) के तहत अधिसूचित।
5.	श्री भरत कुमार पांड्या, सदस्य, एनसीडीआरसी	03.08.2023, दिनांक 09.08.2023 के सा.आ. 3576(अ) के तहत अधिसूचित
6.	डॉ. साधना शंकर, सदस्य, एनसीडीआरसी	04.08.2023, दिनांक 09.08.2023 के सा.आ. 3576(अ) के तहत अधिसूचित
7.	जस्टिस सरोज यादव, सदस्य, एनसीडीआरसी	13.08.2024, दिनांक 28.08.2024 के सा.आ. 3822(अ) के तहत अधिसूचित।
8.	न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता, सदस्य, एनसीडीआरसी	09.04.2025, दिनांक 16.04.2025 के सा.आ. 1762(अ) के तहत अधिसूचित

2. इन नियुक्तियों की सेवा के नियम और शर्तें न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2026, के प्रावधानों तथा इस विषय पर केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों, यदि कोई हों, के तहत विनियमित होंगी।

[फा. सं. जे-1/7/2021- सीपीयू]

अनुपम मिश्रा, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2026

S.O. 4866(E).— In exercise of the powers conferred by section 24(2)(d) of the Tribunals Reforms Act, 2026 (No. 17 of 2026), read with Office Memorandum No. J-18/57/2026-JUDICIAL/E.195818 dated 27.08.2026 of the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, the Central Government hereby grants extension to the tenure of the President and following Members of the National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC), for a period of five years from the date of appointment to their post, or till attaining the age of 70 years (in case of President) or 67 years (in case of Members), or until further orders, whichever is the earliest:

S.No.	Name of the Hon'ble President/Member, NCDRC	Date of Appointment
1	Justice Amreshwar Pratap Sahi, President, NCDRC	02.08.2023, Notified vide S.O. 3564(E) dated 09.08.2023
2	Justice Mr. Sudip Ahluwalia, Member, NCDRC	05.08.2022, Notified vide S.O. 3916(E) dated 22.08.2022 and S.O. 4302(E) dated 31.07.2026
3	Dr. Inder Jit Singh, Member, NCDRC	
4	Air Vice Marshal Jonnalagadda Rajendra, AVSM VSM, Member, NCDRC	13.07.2023, Notified vide S.O. 3335(E) dated 26.07.2023
5	Shri Bharatkumar Pandya, Member,	03.08.2023, Notified vide S.O. 3576(E) dated 09.08.2023

S.No.	Name of the Hon'ble President/Member, NCDRC	Date of Appointment
	NCDRC	
6	Dr. Sadhna Shanker, Member, NCDRC	04.08.2023, Notified vide S.O. 3576(E) dated 09.08.2023
7	Justice Saroj Yadav, Member, NCDRC	13.08.2024, Notified vide S.O. 3822(E) dated 28.08.2024
8	Justice Anoop Kumar Mendiratta, Member, NCDRC	09.04.2025, Notified vide S.O. 1762(E) dated 16.04.2025

2. The terms and conditions of these appointments shall continue to be regulated in terms of the provisions of the Tribunals Reforms Act, 2026, and other instructions on the matter, if any, issued by the Central Government from time to time.

[F. No. J-1/7/2021- CPU]

ANUPAM MISHRA, Addl. Secy.